तकनीकी खामियों के चलते छात्रवृत्ति से वंचित एससी छात्रों को एक और मौका

31 मई तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को दे सकते हैं आवेदन

लखनऊ (ब्यूरो)। समाज कल्याण विभाग ने तकनीकी खामियों के चलते वजीफा और शुल्क भरपाई से वंचित रह गए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है। वे अपना आवेदन 31 मई तक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दे सकते हैं। अपने आवेदन के साथ उन्हें तकनीकी खामी की वजह बताने के साथ ही उसे दूर करने से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज भी लगाना होगा।

विश्वविद्यालय के पिछले साल का रिजल्ट अपलोड करने में देरी के कारण 2015-16 में तमाम छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए। इसी तरह से जिन छात्रों ने बीटेक आदि पाठ्यक्रमों में सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश लिया था, उन्हें भी संदिग्ध श्रेणी में रख दिया गया, जबकि नियमानुसार वे लाभ पाने के हकदार हैं। एक ही आय प्रमाणपत्र का कई बार इस्तेमाल करने वालों में एक ही माता-पिता के बच्चे भी शामिल हैं, मगर उन्हें भी संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया गया। कायदे में जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इन आय प्रमाणपत्रों को जायज ठहराते हुए इन विद्यार्थियों को पात्र घोषित करना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चूंकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बजट अभी बचा है, इसलिए समाज कल्याण विभाग ने इस वर्ग के तकनीकी कारणों से योजना का लाभ पाने से छूट गए विद्यार्थियों से 31 मई तक प्रत्यावेदन लेने का फैसला किया है। विद्यार्थियों से मिले आवेदनों को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी 30 जून तक निदेशालय को अग्रसारित करेंगे। उसके बाद जरूरी बजट की डिमांड शासन को भेजी जाएगी।

31 अगस्त तक लिए जाएंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन

सत्र 2016-17 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन एक जुलाई से 31 अगस्त तक लिए जाएंगे। कक्षा-9 व 10 और उससे ऊपर के सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए यही समय दिया गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपना नाम 15 जुलाई तक शामिल करा सकेंगे। इसके अलावा कक्षा-9 व 10 की छात्रवृत्ति के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों का सत्यापन एक जुलाई से 16 अगस्त तक होगा।

एकेटीयू की अनुमति बिना कॉलेजों में बाहरी परीक्षा नहीं

कक्षाओं के बाद छात्र कर सकेंगे कंप्यूटर लैब का उपयोग

लखनऊ (ब्यूरो)। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध कॉलेज अब अपनी मर्जी से ही किसी परीक्षा का संचालन संस्थान में नहीं करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले विवि से अनुमति लेनी होगी।

कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने सभी संस्थानों को सर्कुलर जारी कर कहा है, अक्सर देखा जाता है कि संस्थान अवकाश के दिनों में या कॉलेज का समय बीतने के बाद अन्य विभागों की परीक्षाओं का संचालन अपने यहां कराते हैं। विभिन्न विभागों की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए भी संस्थाओं की कंप्यूटर लैब का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से संस्थान के संसाधनों का दूसरे विभागों द्वारा उपयोग उचित नहीं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। छात्र कॉलेज की समयावधि के बाद या अवकाश के दिनों में संस्थान की कंप्यूटर लैब या अन्य संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। जबकि यह लैब उन्हीं केलिए बनी हैं। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों को कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी व अन्य लैब उपयोग करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए।